न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1463–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–4–12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला भोपाल प्रकरण कमांक 56/निगरानी/11–12.

शिवचरण आत्मज गोवर्धन
निवासी कुम्हार मोहल्ला शाहजहांनाबाद
भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– गोवर्धन आत्मज रामचन्द
2– बाफूलाल आत्मज रामकीशन
निवासीगण ग्राम बगोनिया
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री दीपक मालवीय, अभिभाषक, आवेदक
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/5/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा खसरा वर्ष 85 लगायत 90 में की गई प्रविष्टि के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1980–81 तक अनावेदकगण के नाम दर्ज थी, और वर्ष 85–86 में भूमि का बटान किया

जाकर प्रश्नाधीन भूमि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के नाम बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 31/अपील/11–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के किसी आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर खसरे में की गई प्रविष्टि के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, और खसरों में हुई प्रविष्टि को निरस्त करने का अधिकार संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत तहसीलदार को है, अतः यह अपील प्रचलन योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–12–2011 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 23–4–12 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 44 (1) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करने के लिए अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक है, परन्तु अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अपील में न तो राजस्व अधिकारी के नाम का उल्लेख किया गया है, और न ही प्रकरण कमांक दर्शाया गया है । यहां तक कि आदेश के दिनांक तक का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, इस वैधानिक स्थिति को दृष्टि ओझल करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में अवधि विधान की धारा 5 के प्रावधानों को भी अनदेखा किया गया है, क्योंकि अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी को चाहिए था कि वे पहले संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र पर निर्णय लेते तत्पश्चात अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित करते ।

(3) अनावेदक कमांक 1 आवेदक का पिता है तथा उनके द्वारा ही वर्ष 1984–85 में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज कराया था, परन्तु बाद में जमीन की कीमतें बढ़ जाने से अनावेदक द्वारा 30 वर्ष के अंतराल से अपील प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 को कथित प्रविष्टि की जानकारी प्रारंभ से ही थी, इसके बावजूद भी 30 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है, और इस ओर ध्यान नहीं देने में अपर कलेक्टर द्वारा भी त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2015 आर.एन. 345, 4 एवं 107, 2014 आर.एन. 98 व 220 एवं 1992 आर.एन. 289 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 प्रश्नाधीन भूमि का मूल भूमिस्वामी है एवं आवेदक उसका पुत्र है, जिसने बिना किसी आदेश के अपना नाम दर्ज करा लिया, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील को विलंबित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के सूचना उपरांत भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक शिवचरण के पिता अनावेदक कमांक 1 प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी हैं और उनके जीवित रहते प्रश्नाधीन भूमि पर से उनका नाम कम किया जाकर आवेदक शिवचरण का नाम दर्ज करने में विधि एवं न्याय की गम्भीर भूल की गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत इस आशय का आवेदन पत्र निरस्त करने में भी न्यायिक कार्यवाही की गई है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा किसी आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर खसरे

में की गई प्रविष्टि के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, क्योंकि जब प्रकरण में गम्भीर अनियमितता हुई हो, तब उसका निराकरण तकनीकी बिन्दु के आधार पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर करना चाहिये, जिससे कि पक्षकार को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से अपर कलेक्टर द्वारा उसकी पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला भोपाल पारित आदेश दिनांक 23–4–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर